:: कार्यालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव, जिला–कोण्डागांव (छ0ग0) ::

//संशोधित विज्ञापन//

क्रमांक 208/चयन समिति/2024, कोण्डागांव, दिनांक– 15.02.2024

मान्नीय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कोण्डागांव जिला–कोण्डागांव छ0ग0 के ज्ञापन क्रमांक 31/दो–12–03/2021 कोण्डागांव दिनांक 05.02.2024 के पालन में कुटुम्ब न्यायालय कोण्डागांव में सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 48/भर्ती समिति/2023 कोण्डागांव दिनांक 07.07.2023 में निम्नानुसार संशोधन कर **आदेशिका वाहक के 01 पद, भृत्य के 01 पद एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के 04 पदों** पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 02.03.2024 के संध्या 05.30 बजे तक सीधे अथवा रजिस्टर्ड डाक से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

1. भर्ती की पात्रता एवं शर्तें की कण्डिका (02) **भृत्य पद के लिए** शैक्षणिक योग्यता का **(1) "किसी भी मान्यता बोर्ड/स्कूल से कक्षा पांचवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है,"** के पश्चात् **"5वीं कक्षा से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।"** को विलोपित किया जाता है।
2. भर्ती की पात्रता एवं शर्तें की कण्डिका (03) **आदेशिका वाहक पद के लिए** शैक्षणिक योग्यता **(1) "किसी भी मान्यता बोर्ड/स्कूल से कक्षा आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है,"** के पश्चात् **"8वीं कक्षा से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।"** को विलोपित किया जाता है।
3. भर्ती की पात्रता एवं शर्तें की कण्डिका (04) **आकस्मिकता निधि (माली, स्वीपर, चौकीदार, वाटरमेन) के पद के लिए** अ. **"वेतनमान–दैनिक वेतनभोगी (कलेक्टर द्वारा निर्धारित वेतन पर) प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन करना होगा।"** को विलोपित कर उसके स्थान पर **"आकस्मिकता निधि (माली, स्वीपर, चौकीदार, वाटरमेन) के पद के लिए एक ही आवेदन पत्र को स्वीकृत किया जावेगा"** प्रतिस्थापित किया जाता है।
4. भर्ती की पात्रता एवं शर्तें की कण्डिका (04) **आकस्मिकता निधि (माली, स्वीपर, चौकीदार, वाटरमेन) के पद के लिए** (1) **"छ0ग0 शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम प्राथमिक शिक्षा (पांचवी) उत्तीर्ण हो,"** के पश्चात् **5वीं कक्षा से**

अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।'' को विलोपित किया जाता है।

5. भर्ती की पात्रता एवं शर्तें की कण्डिका (04) **आकस्मिकता निधि (माली, स्वीपर, चौकीदार, वाटरमेन) के पद के लिए** (2) के पश्चात् **''(3) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति माली, स्वीपर, चौकीदार एवं वाटरमेन में से किसी भी पद पर किया जा सकेगा।** जोड़ा जाता है।

6. शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगे।

टीपः— आकस्मिकता निधि (माली, स्वीपर, चौकीदार, वाटरमेन) के पद के लिए पूर्व में एक ही अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये एक से अधिक आवेदन पत्रों में से एक ही आवेदन पत्र को स्वीकार किया जावेगा। साथ ही पूर्व में आवेदन पत्र जमा किये अभ्यर्थियों को वर्तमानमें आवेदन पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है।''

कुटुम्ब न्यायालय कोण्डागांव में सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 48 / भर्ती समिति / 2023 कोण्डागांव दिनांक 07.07.2023 के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र मान्नीय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जिला—कोण्डागांव छ0ग0 को सम्बोधित कर जमा करना होगा।

15.2.24

अध्यक्ष
चयन समिति
जिला न्यायालय कोण्डागांव
जिला—कोण्डागांव (छ0ग0)

अनुमोदित
20.2.2024

JUDGE
Family Court Kondagaon(C.G.)